संविधान का 42वां संशोधन और संघवाद

राजेश चौहान,
शोधार्थी
(राजनीति विज्ञान)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
झालावाड़ (राज०)

संविधान एक जीवित एवं परिवर्तनशील प्रलेख है। राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ उसे भी बदलना आवश्यक है, ताकि वह बदलती हुई परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल हो।[1] यदि किसी संविधान को स्थायी मान लिया जाय तो उसकी तुलना धर्मशास्त्र से ही की जाने लगेगी। यदि संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सके तो क्रान्ति ही प्रगति का अन्तिम विकल्प रह जाती है। संविधान में संशोधन से अभिप्राय है पुनः रचना या पुनर्निर्माण। संशोधनों द्वारा ही लिखित संविधान का विकास होता है अन्यथा संविधान' गतिहीन एवं जड़ बन जायेगा। वस्तुतः किसी भी संविधान की महानता इसी में है कि वह नष्ट हुए बिना बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक मान्यताओं के अनुरूप ढाला जा सके।[2]

भारतीय संविधान अपनी निराली संशोधन प्रक्रिया के फलस्वरूप नम्यता और अनभ्यता का सुन्दर सामंजस्य उपस्थित करता है।[3] संविधान संशोधन प्रक्रिया का विवरण संविधान के भाग 20, अनुच्छेद 368 में किया गया है।[4] संविधान के कतिपय अंशों को हमारी संसद केवल सादे बहुमत से ही बदल सकती है। संविधान के बहुत-से अंश ऐसे हैं जिनको तब्दील करने के लिए संसद में उपस्थित और मत-दान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई और संसद की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता है। संविधान के कतिपय ऐसे प्रावधानों की, जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं, संशोधित करने के लिए संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत और संसद की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत के बाद कस से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों का भी समर्थन प्राप्त करना पड़ता है।[5]

संसार के किसी अन्य संविधान में इतने कम समय में शायद ही इतने अधिक संशोधन किए गए हों जितने भारत के संविधान में गत 40 वर्षों में किए गए हैं। जवाहर लाल नेहरू के शासन काल (1950-1964) में संविधान में 17 संशोधन किए गए। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के शासन काल में कुल मिलाकर संविधान में 32 संशोधन किए गए जिनमें 26 संशोधन (1966-1976) उनके कार्यकाल की पहली अवधि में तथा 6 संशोधन (1980-1984) उनके कार्यकाल की दूसरी अवधि में हुए। इनमें 42वाँ संशोधन सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम है। जनता पार्टी के युग (1977-79) में 43वाँ और 44वाँ संशोधन किया गया। राजीव गांधी के प्रधान मन्त्रित्व (1984-1989) में 11 बार संविधान में परिवर्तन किया गया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 62वें संविधान संशोधन से शुरूआत की और पहले 6 माह में लगभग 10 संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तावित कर दिये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका के संविधान में लगभग 200 वर्षों में केवल 26 संशोधन किए गए हैं जबकि अमरीकी संविधान विश्व का सबसे

छोटा संविधान है और उसमें संशोधनों की ज्यादा आवश्यकता पड़नी चाहिए थी।

बयालीसवाँ संविधान संशोधनः परिचय

42वें सांविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्ता वना से लेकर अन्त तक लगभग सभी महत्वपूर्ण भागों में संशोधन किया गया। यह संशोधन अधिनियम आपातकाल की निरंकुश सरकार के मस्तिष्क की उपज थी। इस संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ थीं: संसद के बजाय प्रधान मन्त्री की शक्तियों में वृद्धि करना, न्यायपालिका को पंगु करना तथा राज्यों की तुलना में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि करना। यह कहना अनुपयुक्त प्रतीत नहीं होता कि 42वाँ संविधान संशोधन अपने बृहत् रूप के कारण स्वयं एक संविधान की हैसि यत रखता है और कम से कम यह संशोधन अधिनियम आकार की दृष्टि से अमरीकी संविधान से बड़ा है। इस संशोधन अधिनियम में 59 खण्ड हैं जिनके माध्यम से संविधान में कुछ नए भाग और कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं; कतिपय अनुच्छेदों के स्थान पर नए अनुच्छेदों का अंतःस्थापन किया गया है, और कुछ पुराने अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है।

42वाँ संविधान संशोधन स्वर्गसिंह समिति की सिफारिशों का परिणाम है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरूआ ने 26 फरवरी, 1976 को स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे यह कार्य सौंपा गया कि वह सम्पूर्ण संविधान पर सविस्तार विचार करने के उपरान्त संविधान में संशोधन के लिए अपनी संस्तुतियाँ दे। इस समिति के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर सितम्बर 1976 को लोकसभा में संविधान में संशोधन का 44वाँ विधेयक प्रस्तुत किया गया। 2 नवम्बर, 1976 को लोकसभा ने तथा 11 नवम्बर, 1976 की राज्यसभा ने भारी बहुमत से इस विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा के अधिकांश प्रतिपक्षी दलों के सदस्य इस समय मीसा और डी. आई. आर. में बन्द थे।

18 दिसम्बर, 1976 को इस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और इसे भारतीय संविधान का 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम घोषित किया गया।

42वाँ संविधान संशोधन' और संघ व्यवस्था

संविधान संशोधनों ने भारतीय संघ व्यवस्था को अनवरत रूप से प्रभावित किया है और 42वें संविधान संशोधन ने भारत की संघीय प्रणाली में आमूल परि वर्तन किए हैं, जो इस प्रकार है——

1. **राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार का करे**——42वें संवि धान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 को संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 74(1) में यह लिखा था कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री हो गई।' अब इस अनुच्छेद को इस प्रकार लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्य के सम्पादन में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधान मन्त्री होगा और राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।[5]

अर्थात् अब यदि राजनीतिक कारणों से केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहे तो राष्ट्रपति आनाकानी नहीं कर सकता और उसे मन्त्रिपरिषद् की सलाह माननी ही होगी। इससे राज्यों के मामलों में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के अवसर बढ़ जाते हैं।

2. **देश के किसी भाग के लिए आपात्काल की घोषणा**——42वें संविधान संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि अनुच्छेद 352 के अधीन

संकटकाल की घोषणा पूरे देश के लिए ही की जा सकती थीं, देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए नहीं। अब अनुच्छेद 352(1) में संशोधन करके राष्ट्रपति में यह अधिकार विहित किया। गया है कि वह देश के किसी एक हिस्से में आवश्यकतानुसार या पूरे देश में आपात कालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है।

यदि केन्द्रीय सरकार राजनीतिक कारणों से किसी राज्य विशेष में आपातु कालीन स्थिति की घोषणा लागू करना चाहे तो 42वें संशोधन ने इसे आसान बना दिया है। अनुच्छेद 353 में यह भी जोड़ दिया गया कि आपात्काल की उद्घोषणा भारत के किसी हिस्से में ही की गई है तो केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति उस राज्य या भारत के भाग को निर्देश दे सकती है। साथ ही संसद भी उस हिस्से या राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति रखती है।

3. **राष्ट्रपति शासन की अवधि एक वर्ष कर देना**——42वें संविधान संशो धन द्वारा अनुच्छेद 356(4) में भी संशोधन किया गया है। पहले किसी भी राज्य में संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति का शासन 6 महीने तक लागू रह सकता था और उसके बाद पुनः संसद की स्वीकृ ति लेकर 6 महीने बढ़ाया जा सकता था तथा अधिकतम 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में लगातार राष्ट्रपति का शासन रह सकता था। परन्तु प्रत्येक 6 माह बाद संसद' की स्वीकृति आवश्यक थी। इस संशोधन द्वारा दोनों स्थानों पर 6 मास के स्थान पर एक वर्ष कर दिया गया तथा अधिकतम सीमा 3 वर्ष ही रखी गयी है। इस परिवर्तन से भी राज्यों के मामलों में केन्द्रीय हस्तक्षेप की गुंजाइश में वृद्धि हो गई।

4. न्यायपालिका की पंगुता——42वें संशोधन द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को विभिन्न ढंगों से सीमित करके उसे अधीनस्थ स्थिति में पहुँचा दिया गया है। अभीतक संविधान का रक्षक न्यायपालिका को समझा जाता था लेकिन 42वें संशोधन ने संविधान को संसद की इच्छा का विषय बना दिया और न्यायपालिका को सांविधानिक संशोधनों की सांविधानिकता के परीक्षण करने के अधिकार से वंचित कर दिया। इससे संसद पर से न्यायपालिका का नियन्त्रण बड़ी हद तक खत्म हो गया।

42वें संशोधन ने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को इतना प्रतिबन्धित कर दिया है कि न्यायपालिका किसी विधि को मुश्किल से ही' असांविधानिक घोषित कर सकेगी। उपरोक्त संशोधन द्वारा यह उपबन्ध' किया गया है कि केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता का परीक्षण केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा और राज्यविधियों की वैधता का निर्धारण केवल सम्बन्धित उच्च न्यायालय द्वारा किया जायगा। यह भी शर्त लगाई गई कि किसी विधि की सांविधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक होगी और किसी विधि को असांविधानिक घोषित करने के लिए उपरोक्त संख्या के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होगी।[6]

5. केन्द्र द्वारा राज्यों में सशस्त्र बल भेजना——चतुर्थ आम चुनाव के बाद शक्ति सन्तुलन राज्यों की तरफ झुकने लगा था और राज्यों को नियन्त्रण में रखना केन्द्रीय सरकार के लिए कठिन हो गया था। विगत वर्षों में केन्द्र और राज्य सर कारों के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुए उसका एक कारण यह भी था कि कुछ राज्यों में आन्तरिक अव्यवस्था दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने सी. आर. पी. भेज दी। राज्य सरकारों की ओर से इसका घोर विरोध किया गया और इसे असांविधानिक तथा राज्यों की स्वायत्तता के लिए घातक समझा गया।[7] संविधान का 42वाँ संशोधन राज्य सरकारों की इस शिकायत का उचित समाधान करने के बजाय केन्द्र सरकार की

इस कार्यवाही को सांविधानिक मान्यता प्रदान करता है। संविधान में अन्तःस्थापित एक नया अनुच्छेद 257-ए यह घोषणा करता है कि भारत सरकार किसी राज्य में विधि और व्यवस्था की गम्भीर परिस्थिति का सामना करने के लिए संघ के सशस्त्र बल का या संघ के नियन्त्रण के अधीन किसी अन्य बल का अभियोजन कर सकेगी।'

इस संशोधन अधिनियम में 'विधि और व्यवस्था की गम्भीर परिस्थिति' शब्दों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं की गई है। केन्द्र सरकार किस राज्य में एक साधारण हड़ताल होने को भी गम्भीर अव्यवस्था की स्थिति मान सकती है और सेना भेजकर उस राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती है।

6. शक्ति विभाजन में परिवर्तन——42वें संशोधन द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। राज्य सूची के कुछ विषयों को जिनमें शिक्षा उल्लेखनीय है समवर्ती सूची में रख दिया गया। राज्य सूची से न्याय, प्रशासन, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, तोल और माप विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन को भी समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। यह परिवर्तन निस्संदेह संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। इन विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का प्रभाव यह होगा कि इन विषयों से सम्बन्धित कानूनों में एकरूपता आएगी तथा मुख्य नीतियों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा कर दिया जाएगा।[8]

बयालीसवाँ संविधान संशोधन—केन्द्रीयकरण में वृद्धि

बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की स्वायत्तता पर प्रहार किया गया एवं कठोर संघात्मकता (Federalism tightened) की प्रवृत्ति के संकेत मिलते हैं। केन्द्रीय सरकार अव्यवस्था अथवा हिंसा की आशंका के नाम पर राज्यों में सेना भेजकर राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य सूची के अनेक विषयों को समवर्ती सूची में रख देने से उन पर केन्द्रीय संसद द्वारा विधि निर्माण सम्भव हो गया है। राष्ट्रपति अपात् की उद्घोषणा देश के किसी भाग अथवा राज्य के लिए कर सकता है। यह प्रावधान संघ सरकार को राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का और भी अधिक अवसर प्रदान करता है। संघ सरकार केवल राजनीतिक कारणों से कुछ राज्यों के भू-भाग' में आपातु उद्घोषणा करके उन पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर सकती है। ई. एम. एस. नाम्बुद्रीपाद के अनुसार 'इस संविधान संशोधन से राज्यों पर केन्द्र का नियन्त्रण अधिक कठोर कर दिया गया है। इससे राज्यों की स्वायत्तता तहस-नहस होगी और एकता के नाम पर असन्तोष बढ़ेगा।"[9] प्रो० एलू दस्तुर के अनुसार, "महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसलों जैसे अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद, नदी-पानी विवाद आदि को हल करने के प्रश्न पर तो यह संशोधन अधिनियम चुप है। न्याय प्रशासन जैसे विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डालने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है।[10] सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबन्धित करने वाले उपबन्धों से भी संघात्मकता का आधारभूत तत्व प्रभावित होता है।

बाद में जनता पार्टी सरकार ने बयालीसवें संशोधन की कतिपय बुराइयों को दूर करने के लिए 43वाँ और 44वाँ संविधान संशोधन अधि किया। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और क्षेत्राधिकार को पूर्वव दिया गया। शिक्षा और वन जैसे विषयों को पुनः राज्य सूची में। किन्तु राज्य सभा में काँग्रेस दल का बहुमत होने के कारण उसने शिक्षा और राज्य सूची में रखना स्वीकार नहीं किया। 43वें संशोधन द्वारा अब यह परिवर्तन भी कर दिया गया है कि राज्यों की

सहमति के बिना केन्द्रीय फोर्स तैनात नहीं की जाएगी।

संक्षेप में, संविधान संशोधनों से भारत में केन्द्र की शक्ति में वृद्धि हुई है। केन्द्र की शक्तियाँ मुख्य रूप से अन्तर्राज्यीय व्यापार और उद्योगों के नियन्त्रण और नियमन तथा सम्पति के अधिग्रहण के सम्बन्ध में तो पूर्व में ही बढ़ चुकी थीं। 42वें संशोधन ने राज्यों को केन्द्र का मातहत बना दिया और राज्य सरकारों का अस्तित्व केन्द्र की इच्छा पर निर्भर कर दिया।

70 वर्षों में देश के संविधान में किए जा चुके हैं 103 संशोधन

संविधान सभा में नेहरू ने कहा था– बदलती आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कोई भी संक्रिधान आने वाली पीढ़ियों को बाँध नहीं सकता।' दरअसल संविधान में संशोधन संविधान के ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हो सकता है। इसमें अब तक 103 संशोधन हो चुके हैं। इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। ऐसे में कई बार यह भ्रांति हो जाती है कि संविधान में 124 संशोधन हो चुके हैं। हमारे संविधान को विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधानों में से माना जाता है। लेकिन इनमें से अधिकांश संशोधन छोटे-मोटे स्पष्टीकरण वाले ही हैं। जैसे- राज्य का नाम बदलना, भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना या आरक्षण की समय अवधि बढ़ाना। यहां जानिए बीते 70 वर्षों में हुए 12 सवर्ण संशोधनों के बारे में...

7वां संशोधनः राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन

1955 : इससे मामा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह संशोधन किया गया।

44वां संशोधनः संपत्ति मूल अधिकार से बाहर

1978 सम्पत्ति का पहला महत्वपूर्ण संशोधन था। जमींदारी उन्मुलन और संपत्ति के अधिकार को लेकर लंबे समय तक पालिका और विधायिका के बीच रस्साकशी चली थी। जमींदारी उन्मूलन के क्ष में जो क़ानून संसद में बनाया था, उसे न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया। इसके बाद विधान में संथन किया गया। फिर को न्यायपालिका को स्वीकार्य नहीं हुई तो कई संशोधन करने पड़े, जिनमें पहला, चौथा, 17वां, 29वा, 34वां आदि संशोधन है। अखिर 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारी के अध्याय से निकाल दिया गया।

52वां संशोधनः दल बल के खिलाफ

1985: इसके जरिए संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसमें दल बदलने वालों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया।

73वां संशोधनः पंचायती राज व्यवस्था के लिए

1952: 73वां और 74वाँ संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था आई। नगर पालिकाओं और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और प्रावधान किया गया कि इन्हें 6 महीने से अधिक समय के लिए निलंबित नहीं रखा जा सकता।

86वां संशोधनः शिक्षा बना मूल अधिकार

2002 इस संविधान संशोधन के माध्यम से छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लाया गया। संविधान आयोग ने सिफारिश की थी कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना जाए, लेकिन संशोधन में ऐसा सिर्फ 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के लिए किया गया।

91वां संशोधनः मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण

2004: इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या पर अंकुश लगाया गया। तय किया गया कि मंत्रियों की संख्या निम्न सदन के 15 प्रतिशत से। अधिक नहीं होगी। इसके पहले कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा था कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या तो 60 है और इसमें से 49 को मंत्री बना दिया गया। बाकी को भी मंत्री के समकक्ष दर्जा देकर पद दे दिया गया। इसे रोकने के लिए संविधान आयोग की सिफारिश पर यह संशोधन लाया गया।

93वां संशोधनः ओबीसी को कोटा मिला

2006: इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 में बदलाव करके सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। पहले यह प्रावधान सिर्फ एससी-एसटी और एंग्लो इंडियंस के लिए था। इस संशोधन के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को यह सुविधा दी गई।

99वां संशोधन ज्यूडिशियल कमीशन बनाया

2014 : यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था, जिसके द्वारा नेशनल ज्यूडिशियल आइटमेट कमीशन का प्रावधान किया गया। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है, जहां जज अपने ही ब्रदर जज को खुद चुनते हैं,

लेकिन हिंदुस्तान में यह व्यवस्था थी और अभी है। इसमें जजों के जजों के कोलेजियम द्वारा ही चुन। जाता है, इसी में सुधार के लिए 99 वां संशोधन लाया गया। लेकिन जब्डू मामला अदालत के सामने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।

ये भी अहम संशोधन

61वां संशोधन ——

1989 में इस संशोधन से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी।

101वां संशोधन——

2017 में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया।

103वां संशोधन——

2019 में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में अंतिम संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए किया गया है।

सन्दर्भ

1. एम. वी. पायली, इण्डिया कॉन्स्टीट्यूशन (बम्बई, 1967), पृ० 403.
2. सुभाष काश्यप, सांविधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष (नई दिल्ली, 1972), पृ. 350,

3. के. सी. ह्वीयर, मॉडर्न कॉल्स्टीट्यूशन, पृ. 43.
4. भारतीय संविधान----अनुच्छेद 368.
5. लोकसभा सचिवालय, कॉन्स्टीट्यूशनल एयद्धमेण्ट इन इण्डिया, (नई दिल्ली, 1976), पृ. 3-4.
6. अनुच्छेद 144-ए तथा 228-ए.
7. डॉ. बाबूलाल फड़िया, भारतीय संघ में अन्तर्राज्यीय सम्बन्ध', लोक प्रशासन, जुलाई-दिसम्बर 1978, पृ. 263.
8. उपर्युक्त।
9. ओ. पी. गोयल, इण्डिया-गवर्नमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स (नई दिल्ली, 1979), पृ. 270-271 से उद्धृत।
10. उपर्युक्त, पृ. 271.
11. दैनिक भास्कर कोटा संस्करण पृ. 04 26/01/2019